लय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) इटावा जिला कोटा राज0

/2021

तारीख दायरा
21/06/2021

तारीख फैसला
25/3/22

पीठासीन अधिकारी– श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. प्रेमलता पुत्री रामेश्वरप्रसाद पत्नि अरविन्द जाति ब्राहम्ण निवासी जमना पाल की गली, पीपलेश्वर महादेव मन्दिर के पास, कोटड़ी, कोटा तह0 लाड़पुरा कोटा।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रवणलता पुत्री रामेश्वर प्रसाद, पत्नि संजय नन्दवाना, जाति ब्राहम्ण निवासी नीमड़ी पाड़ा अन्ता तहसील अन्ता जिला बांरा राज0।
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज0।

– अप्रार्थीगण

उपस्थित–
प्रार्थीगण की ओर से:– भागवंत सिंह आसावत,एडवोकेट
अप्रार्थी क.1 की ओर से:– हेमन्त शर्मा एडवोकेट

अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट

निणर्य

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम अयानी पटवार क्षेत्र अयानी भू अभिलेख क्षेत्र अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2073–76 में खसरा नम्बर 854 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 856 रकबा 3.34 है0 कुल किता 2 रकबा 3.60 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता स्व0 रामेश्वर प्रसाद पुत्र श्री गोविन्दराम ब्राहम्ण के खातेदारी मे दर्ज है जिसे प्रार्थना पत्र में आगे की मदो में विवादित आराजी कहा गया है।

यह कि विवादित आराजी के खातेदार प्रार्थी के पिता रामेश्वर प्रसाद पुत्र गोविन्दराम का स्वर्गवास दिनांक 25.08.2020 को हो चुका हैं। स्व0 श्री रामेश्वर प्रसाद जी की वृद्धावस्था में प्रार्थी ही अपने पिता के साथ ही निवास करके उनकी हारी–बीमारी में सेवा व सुश्रुषा कर रही थी। इस कारण प्रार्थी की सेवाभाव, सेवा–सुश्रुषा से प्रसन्न होकर प्रार्थी के पिता श्री रामेश्वर प्रसाद जी ने अपनी वृद्धावस्था को देखते हुए दिनांक 06.05.2020 को एक वसीयत आलेखित करवा कर निष्पादित कर दो साक्षीगण से अनुप्रमाणित कर, नोटेरी के समक्ष प्रमाणित करवा कर विवादित आराजी का एकमात्र वसीयती उत्तराधिकारी प्रार्थी को बना दिया था तथा स्व0 रामेश्वर जी ने अपनी मृत्यु के बाद विवादित आराजी को उपयोग उपभोग करने, प्रार्थी को अपने खाते दर्ज करवाने, काश्त करवाने, काश्त करने आदि अधिकार प्रार्थी को जीवनकाल में प्रदान कर दिये गये थे तथा प्रार्थी ने अपने पिता के उनके जीवनपर्यन्त निवास किया तथा अपने पिता व उनकी सम्पति की देखभाल उनके जीवनकाल से ही करती चली आ रही है तथा प्रार्थी ही अपने पिता के स्वर्गवास के बाद से ही विवादित आराजी पर कब्जा काश्त में चली आ रही है, उपरोक्त वसींयत प्रार्थी के पिता स्व0 रामेश्वर प्रसाद जी की प्रथम व अंतिम वसीयत है।

यह कि स्व0 रामेश्वर प्रसाद जी के वारिसान में प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 दोनो पुत्रिया मौजूद है। प्रार्थी की माता का पुर्व में स्वर्गवास हो चुका है। विवादित आराजी पर स्व0 खातेदार रामेश्वर प्रसाद द्वारा आलेखित वसीयत दिनांक 06.05.2020 के द्वारा प्रार्थी ही विवादित आराजी की एकमात्र विधिक

सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

उत्तराधिकारी है तथा प्रार्थी विवादित आराजी की खातेदार कृषक हो चुकी है, प्रार्थी द्वारा प्रतिवादी से कई बार निवेदन करने पर भी विवादित आराजी को प्रार्थी के नाम खाते दर्ज नहीं कर रहा है। अतः प्रार्थी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विवादित आराजी पर अपना नाम दर्ज करवाये तथा इस विवादित आराजी पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाये ।

यह कि विवादित आराजी प्रार्थी के पिता के खाते की आराजी है तथा वसीयत दिनांक 06.05.2020 के मुताबिक प्रार्थी विवादित आराजी की एकमात्र खातेदार काबिजी कृषक है, किन्तु अप्रार्थी वादी क्रम 2 प्रार्थी द्वारा कई मर्तबा निवेदन करने पर भी प्रार्थी का नाम विवादित आराजी पर दर्ज नहीं कर रहा है तथा अप्रार्थी क्रम 1 विवादित आराजी पर प्रार्थी का नाम दर्ज नही होने का लाभ उठाकर विवादित आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है। अप्रार्थी क्रम 1 ने दिनांक 10.06.2021 को प्रार्थी को धमकी दी कि विवादित आराजी मेरी है तथा उपरोक्त आराजी पर मैं कब्जा करके रहुंगी। विवादित आराजी प्रार्थी के स्वामित्व कब्जा काश्त की आराजी है जिस पर अप्रार्थी क्रम 1 अप्रार्थी क्रम 2 से मिलीभगत करते हुए विवादित आराजी पर अपना नाम दर्ज करने पर आमादा है जिसका कि अप्रार्थी क्रम 1 व 2 कोई विधिक अधिकार नहीं है। अप्रार्थी क्रम 1 अपनी ताकत के बल पर विवादित आराजी को खुर्द बुर्द करने तथा वादी को बेदखल करने पर आमादा है तथा प्रार्थी के शान्तिपूर्ण कब्जा काश्त में आये दिन मदाखलत व मजाहमत करता रहता है। अप्रार्थी 1 ने दिनांक 10.06.2021 को विवादित आराजी को खुर्द बुर्द करने तथा प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी दी है। इस कारण प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये।

यह कि प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में है, तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है, यदि अप्रार्थी क्रम 1 ने विवादित आराजी को खुर्द बुर्द रहन बेचान कर दिया या प्रार्थी को विवादित आराजी पर से बेदखल कर दिया तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को ही होनी है जिसका कि मुद्रा में मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं होगा, प्रार्थी को अनावश्यक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा।

अतः पार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी गण के विरूद्ध निम्न आश्य का आदेश ताफैसला मूलवाद पारित फरमाया जावे कि–प्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह न तो स्वंय न ही अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विवादित ग्राम अयानी पटवार क्षेत्र अयानी तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान खसरा नम्बर 854 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 856 रकबा 3.34 है0 कुल किता 2 रकबा 3.60 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नहीं करे तथा विवादित आराजी को किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द रहन, बेचान, दान आदि या किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे तथा विवादित आराजी पर से प्रार्थी को बेदखल नहीं करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये समन्न की गई। प्रतिवादी क्रम 01 की ओर से श्री हेमन्त शर्मा द्वारा वकालत नामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–

1. यह कि प्रार्थना पत्र मद क्रम संख्या 1 में वर्णित प्रार्थना पत्र का प्रस्तुत होना स्वीकार है। सफलता की संभावना स्वीकार नहीं है।

2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद क्रम 2 में वर्णित कृषि भूमि का वर्णन एवं उक्त कृषि भूमि का वादिनी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के स्व. पिता के नाम रिकॉर्ड में दर्ज होना स्वीकार है।

3. यह कि प्रार्थना पत्र की मद क्रम सं0 3 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के एकमात्र खातेदार वादिनी एवं प्रतिवादिनी क्रम 1 के स्व0 पिता की मृत्यु होना स्वीकार है। शेष तथ्य काल्पनिक निराधार एवं पूर्णतया असत्य होने से स्वीकार्य नहीं है। विशेष आपत्तियां अवलोकनीय है।

4.यह कि प्रार्थना पत्र की मद क्रम 4 में वर्णित वादी एवं प्रतिवादियां क्रम 1 की माता का पूर्वकाल में स्वर्गवास होना एवं रामेश्वर प्रसाद के दोनो पुत्रियां ही वारिस होना स्वीकार है। शेष तथ्य काल्पनिक निराधार होने से स्वीकार्य नहीं है । विशेष आपत्तियां अवलोकनीय है।

प्रार्थना पत्र की मद कम 5 में वर्णित समस्त तथ्य काल्पनिक निराधार असत्य होने से स्वीकार्य । कथित प्रार्थीया को कोई वादाधिकार अथवा वाद कारण प्रस्तुत नहीं है। विशेष आपत्तियां नीय है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद क्रम 6 में वर्णित तथ्य काल्पनिक असत्य एवं निराधार होने से स्वीकार्य नहीं है, र्थीया का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में नहीं है, कोई भी अपूरणीय क्षति कथित प्रार्थीया को सम्भाव्य नहीं है, कथित प्रार्थना पत्र अनौचित्य पूर्ण होने से सव्यय काबिल खारिजी है, विशेष आपत्तियां अवलोकनीय है।

7.यह कि प्रार्थना पत्र की मद कम 7 विधिक है।

8.यह कि प्रार्थना पत्र की मद कम 8 विधिक है यह कि प्रार्थना प्रार्थीया स्वीकार नहीं है।

विशेष आपत्तियां

1. यह कि वादग्रस्त कृषि आराजी वादिनी एव प्रतिवादिनी कम 1 के स्व0 पिता स्व0 रामेश्वर को पैतृक कृषि आराजी है, उनके निधन के पश्चात से दोनों पुत्रियों अर्थात वादिनी एवं प्रतिवादिनी कम 1 का उक्त सम्पति मे नेचुरल सक्सेशन (प्राकृतिक उत्तराधिकार) के रूप में नाम बतौर वारिस दर्ज होने आवश्यक है। अतः वादिनी द्वारा प्रकरण वाद पत्र नेचुरल सक्सेशन के कम के विरूद्ध अनुतोष क्लेम करने वश स्वतः ही काबिल खारिजी है।

2. यह कि स्व0 रामेश्वर प्रसाद नन्दवाना द्वारा स्वंय विगत दिनांक 03.06.2017 को एक सौ रूपये के कीमतन स्टाम्प पर सहमति पत्र (वसीयत) हस्ताक्षरित कर आलेखित करवा दी गई है उसके मुताबिक भी उक्त कृषि सम्पति का त्याग पत्र दोनो वारिसों अर्थात वादिनी एव प्रतिवादिनी क्रम 1 के पक्ष में अपने जीवनकाल में मुन्तकिल कर दिया गया है उसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होना आवश्यक है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वयं में काबिल खारिजी है।

3. यह कि पारिवारिक बंटवारा पत्र दिनांक 13.08.2014 द्वारा निष्पादित किया गया जिसमें दोनो पुत्रियों के मध्य आपसी सम्पति का बंटवारा स्व0 रामेश्वर नन्दवाना द्वारा किया गया है किन्तु वादिनी के मन में बदनियती आ जाने वश वादिनी द्वारा काल्पनिक आधारों पर आधारित असत्य वाचक वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिजी है।

4. यह कि वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मद क्रम 3 में वर्णित कथित वसीयत झूठी मनगढन्त एवं निराधार है, जिसका कोई वजूद नहीं है। उक्त वसीयत पूर्णतया फर्जी है। स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद नन्दवाना द्वारा विगत दिनांक 06.05.2020 को किसी प्रकार की वसीयत नही की गई है वादिनी द्वारा फर्जी वसीयत तैयार की गई है जिसके आधार पर कोई हित अधिकार प्रादुभूत नहीं होते है।

5. यह कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन 2005 के मुताबिक पुत्रियों को पिता के जन्मतः अधिकार मुन्तकिल होने के प्रावधानान्तर्गत प्रतिवादिनी उक्त कृषि भूमि में अपना हिस्सा 1/2 दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। कथित वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र सव्यय काबिल खारिजी है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तु कर निवेदन है कि कथित वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

वकील प्रार्थी द्वारा पत्रावली बहस हेतु निवेदन किये जाने पर पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली में बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए ग्राम अयानी पटवार क्षेत्र अयानी तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान खसरा नम्बर 854 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 856 रकबा 3.34 है0 कुल किता 2 रकबा 3.60 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
कोटा

में किसी प्रकार की मदाखलत नजाहमत नहीं करे तथा विवादित आराजी को किसी प्रकार से
र्द रहन, बेचान, दान आदि या किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे तथा विवादित आराजी पर से
बेदखल नहीं करे। वकील अप्रार्थी कम 1 द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत जवाब के
यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन 2005 के मुताबिक पुत्रियों
पिता के जन्मतः अधिकार मुन्तकिल होने के प्रावधानान्तर्गत प्रतिवादिनी उक्त कृषि भूमि में अपना हिस्सा
/2 दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। कथित वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र सव्यय काबिल
खारिजी है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड जमाबंदी, खाता सं. 244 ग्राम अयानी,सम्वत् 2073–2076, सहमति पत्र, दिनांक 3.06.2017, सहमति बंटवारा पत्र दिनांक 13.08.2014, मृत्यु प्रमाण पत्र रामेश्वर प्रसाद, वारिस रिपोर्ट तहसीलदार अन्ता, वारिस हेतु शपथ पत्र, वारिस प्रमाण पत्र न.पा. अन्ता, नकल जमाबदी ग्राम अयानी सम्वत् 2061–2064 एवं जवाब अप्रार्थी कम 1 का गहन अध्ययन एव मनन किया गया। प्रकरण में विवादित आराजीयात को अपने पिता से वसीयत के आधार पर प्राप्त होना प्रार्थीया द्वारा अवगत करवाया है जबकि अप्रार्थी का कथन है कि उक्त विवादित आराजीयात् में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन 2005 के मुताबिक पुत्रियों को पिता के जन्मतः अधिकार मुन्तकिल होने के प्रावधानान्तर्गत प्रतिवादिनी उक्त कृषि भूमि में अपना हिस्सा 1/2 दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। कथित वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र सव्यय काबिल खारिजी है। चूकि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किये है लेकिन अप्रार्थी कम 1 द्वारा अपने जवाब में उक्त दस्तावेजो को काल्पनिक एवं निराधार असत्य होना बताया है किन्तु इस संबध में जवाब के साथ कोई साक्ष्य/ दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर हम यह मानते है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 1 के मध्य पिता की सम्पति को लेकर विवाद है जिसका समाधान वाद के निस्तारण के समय ही किया जा सकता है। अतः वाद के निस्तारण का विवादित आराजी खुर्द बुर्द या बेचान,रहन न हो इस बाबत् प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी गण के विरूद्ध निम्न आशय कि अस्थायी निषेधाज्ञा वाद के ताफैसला जारी की जाती है कि वह न तो स्वंय न ही अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विवादित ग्राम अयानी पटवार क्षेत्र अयानी तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान खसरा नम्बर 854 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 856 रकबा 3.34 है0 कुल किता 2 रकबा 3.60 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नहीं करे तथा विवादित आराजी को किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द रहन, बेचान, दान आदि या किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे तथा विवादित आराजी पर से प्रार्थी को बेदखल नहीं करे।

निर्णय आज दिनांक 25/3/22 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) इटावा